# न्यायालय,समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, खगड़िया
## (देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध (आंगनबाड़ी) वाद सं0–20/15–16 लक्ष्मी कुमारी वनाम राज्य जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 21.09.2017 | **आदेश**<br>उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध (आंगनबाड़ी) अपील वाद संख्या 20/2015–16 लक्ष्मी कुमारी वनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है।<br>उपरोक्त के आलोक में आंगनबाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिश जारी किया गया।<br>प्रस्तुत अपील वाद लक्ष्मी कुमारी पति श्री निरंजन यादव, ग्राम–उखरौड़ा, प्रखंड–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 31.01.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।<br>अपीलार्थी का कहना है कि ग्राम पंचायत राज आनन्दपुर मारन केन्द्र संख्या–103 के वार्ड नं0 07 के लिए सेविका पद के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें दिनांक 05.07.2013 से 12.07.2013 तक आवेदन लेने का तिथि निर्धारित किया गया था। प्रियंका कुमारी,लक्ष्मी देवी एवं रिंकु कुमारी का कुल तीन आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें तीनों अभ्यर्थी में से कोई भी वार्ड नं0–7 की नहीं थी। आमसभा की तिथि दिनांक 24.09.2013 को निर्धारित किया गया जिसमें रिंकु कुमारी आमसभा में अनुपस्थित थी। लक्ष्मी देवी को मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका–4 की उप कंडिका 4.6 के आलोक में निकट वार्ड 08 की होने के कारण चयन किया गया। आवेदिका प्रियंका कुमारी का मैट्रिक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 05.05.1995 अंकित होने के कारण उम्र 17 वर्ष 07 माह 26 दिन के कारण आमसभा के द्वारा चयन नहीं | |

करने का निर्णय लिया गया। उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मी देवी का वार्ड नं0–08 की स्थायी निवासी हैं एवं पति का नाम निर्चाचन नामावली की सूची में दर्ज है। साथ ही प्रियंका कुमारी वहाँ की नतिनी है। सेविका द्वारा उखरौड़ा पंचायत ग्राम मानिकचक से नाम हटाने के लिए बी0एल0ओ0 को 09.09.2013 को आवेदन दिया गया। आवेदिका प्रियंका कुमारी की सास आनन्दपुर मारन के वार्ड नं0–06 में सेविका के पद पर कार्यरत है एवं प्रियंका कुमारी भी अलौली प्रखंड में साक्षरता मिशन में प्रेरक हैं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अंचल अधिकारी, अलौली के गलत प्रतिवेदन के आधार पर चयन को रद्द किया गया है। अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा उनके पति के वंशावली प्रतिवेदन निर्गत किया गया है जिसमें चानो-यादव के चार पुत्र होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके पति के भाई प्रमोद कुमार नहीं है। इस संबंध में ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक अलौली द्वारा भी प्रतिवेदन दिया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पंचायत राज गौड़ाचक के सरपंच श्रीमति सुलेखा देवी पति प्रमोद यादव है तथा निरंजन कुमार ग्राम उखरौड़ा थाना अलौली का कोई भाई नहीं है। प्रमोद भाई में अकेला है निरंजन कुमार ग्राम उखरौड़ा थाना–अलौली एवं प्रमोद कुमार आपस में चचेरा भाई है। और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अंचल अधिकारी, अलौली के गलत प्रतिवेदन के आधार पर उनका चयन रद्द किया गया है। इसलिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 31.01. 2015 को पारित आदेश नियम विरूद्ध है एवं न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा इस अपील को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत राज आनन्दपुर मारन केन्द्र संख्या–103 के वार्ड नं0 07 के लिए सेविका पद के लिए विज्ञापन निकाला गया जिसमें 05.07.2013 से 12.07.2013 तक आवेदन लेने का तिथि निर्धारित किया गया था। प्रियंका कुमारी, लक्ष्मी देवी एवं रिंकु कुमारी का कुल तीन आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें तीनों अभ्यर्थी में से कोई भी वार्ड न0–7 की नहीं थी। आमसभा की तिथि दिनांक 24.09.2013 को निर्धारित किया गया जिसमें रिंकु कुमारी आमसभा में अनुपस्थित थी। लक्ष्मी देवी का चयन

मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका –4 की उप कंडिका 4.6 के निकट वार्ड 08 की होने के कारण चयन किया गया। प्रियंका कुमारी का मैट्रिक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 05.05.1995 अंकित होने के कारण उम्र 17 वर्ष 07 माह 26 दिन रहने तथा प्रियंका कुमारी की सास आनन्दपुर मास्न के वार्ड नं0–06 में सेविका के पद पर कार्यरत रहने एवं प्रियंका कुमारी भी अलौली प्रखंड में साक्षरता मिशन में प्रेरक रहने के कारण आमसभा के द्वारा चयन नहीं करने का निर्णय लिया गया।

अभिलेख पर संलग्न कागजातों से यह भी स्पष्ट होता है कि सुनवाई के क्रम में प्रियंका कुमारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चयनित सेविका लक्ष्मी देवी के पति का भाई प्रमोद कुमार की पत्नी श्रीमति सुलेखा देवी के ग्राम पंचायत राज गौड़ाचक के सरपंच होने का मामला प्रकाश में लाया गया। उक्त के आलोक में ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, अलौली से प्रतिवेदन की मांग की गयी। ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक अलौली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत गौड़ाचक के सरपंच श्रीमति सुलेखा देवी के पति प्रमोद यादव है तथा निरंजन कुमार ग्राम उखरौड़ा थाना–अलौली एवं प्रमोद कुमार आपस में चचेरा भाई हैं। प्रमोद भाई में अकेला है। प्रियंका कुमारी के अधिवक्ता द्वारा ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन पर आपति दर्ज कराई गई एवं सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, अलौली से सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गयी। साथ ही सत्यापन रिपोर्ट एवं वंशावली प्रमाण–पत्र में भिन्नता के संबंध में पृच्छा की गयी। अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा पत्रांक 756 दिनांक 05.08.2014 से प्रतिवेदित किया कि ग्राम पंचायत राज–गौड़ाचक के सरपंच श्रीमति सुलेखा देवी पति प्रमोद यादव हैं। श्री प्रमोद यादव पॉच भाई है। क्रमशः (1) गणेश यादव (2) इन्दल यादव (3) प्रमोद यादव (4) अमोद यादव (5) निरंजन यादव जिनके पिता का नाम चानो यादव है। प्रमोद यादव एवं निरंजन यादव आपस में सहोदर भाई है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर कि अंचलाधिकारी, अलौली द्वारा क्र0–18 दिनांक 24.01.2014 के द्वारा वंशावली प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है जिसमें चानो यादव के चार पुत्र होने का उल्लेख किया गया है। (1) अमोद यादव (2)गणेश यादव (3) इन्दल यादव एवं (4) निरंजन यादव। अंचल अधिकारी से भिन्नता के संबंध में पृच्छा की गयी। अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा प्रतिवेदिन किया गया कि उनके द्वारा पत्रांक 756 दिनांक 05.08.2014

द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन सही है। उक्त के आलोक में मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.8 के अनुसार "जनप्रतिनिधियों की पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री तथा उसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहु सेविका/सहायिका चयन के लिए अयोग्य होगी"। अंचल अधिकारी, अलौली के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार लक्ष्मी देवी सरपंच श्रीमती सुलेखा देवी के पति प्रमोद यादव के भाई की पत्नी है। इस प्रकार मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 4 की उपकंडिका 4.8 का उल्लंघन मानते हुए लक्ष्मी देवी का चयन को रद्द कर दिया गया तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अलौली को आदेश दिया गया कि नियमानुसार सेविका के चयन की प्रक्रिया पूरी करें।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि प्रियंका कुमारी द्वारा गलत रूप से आवेदन दिया गया है। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष नहीं होने तथा प्रियंका कुमारी की सास आनन्दपुर मारन के वार्ड नं0–06 में सेविका के पद पर कार्यरत रहने तथा प्रियंका कुमारी भी अलौली प्रखंड में साक्षरता मिशन में प्रेरक रहने के कारण आमसभा द्वारा चयन नहीं करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, अलौली द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र के आधार पर निरंजन कुमार प्रमोद कुमार के भाई नहीं है तथा प्रमोद कुमार निरंजन कुमार के चचेरे भाई है। अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा गलत रूप से प्रतिवेदन दिया गया है जिसमें निरंजन कुमार का भाई प्रमोद कुमार को अंकित किया गया है। इसलिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 31.01.2015 को पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा अपीलार्थी का सेविका के पद पर चयन को बरकरार रखा जाय।

अंचल अधिकारी, अलौली का दो प्रकार का प्रतिवेदन को देखते हुए वर्त्तमान अंचल अधिकारी, अलौली से स्वयं स्थल जांच कर साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, अलौली के पत्रांक 1993 दिनांक 21.09.2017 से स्थल पर लोगों से पूछताछ एवं जॉच कर तथा मतदाता पहचान पत्र साक्ष्य के आधार पर प्रतिवेदित किया गया है कि चानों यादव के मात्र चार पुत्र हैं क्रमशः (1) गणेश यादव (2) इन्दल यादव (3) अनोद यादव (4) निरंजन यादव । श्री प्रमोद यादव जिनकी पत्नी पूर्व सरपंच श्री चानों

यादव के भाई चन्द्रदेव यादव के पुत्र हैं और दोनों परिवार अलग अलग हैं। अतएव इस आधार पर लक्ष्मी देवी का चयन रद्द करना कि लक्ष्मी देवी सरपंच श्रीमती सुलेखा देवी के पति प्रमोद यादव के भाई की पत्नी है तथा मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 4 की उपकंडिका 4.8 का उल्लंघन है, उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यो के आलोक में अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 31.01.2015 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। तदआलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता, खगड़िया।

समाहर्ता, खगड़िया।

ज्ञा० सं० 467 / विधि दिनांक 6.12.2017

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी खगड़िया को निम्न कागजात अभिलेख सं० 103/13-14 प्रियंका कुमारी बनाम लक्ष्मी कुमारी अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

6/12

प्रभारी पदाधिकारी

विधि शाखा खगड़िया

6/12/17